# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 209/2023 राजस्व वाद

1. मदन लाल पुत्र श्री पन्ना लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी गुर्जर खेड़ा, बेमाली तहसील करेडा जिला – भीलवाड़ा (राज0) हाल मुकाम सी–103 मधुवन रेजिडेन्सी मोरया सर्वदय होटल, अहमदाबाद (गुजरात)

––– वादी

**बनाम**

1. श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री जगदीश कुमावत आयु वयस्क निवासी – धनकपुर, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कन्हैया लाल पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत आयु वयस्क निवासी–छापरिया खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गोपाल लाल पुत्र श्री भैरू लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी–छापरिया खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. शंकर लाल पुत्र श्री भैरू लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी–छापरिया खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.**

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा –– अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय – –– प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04
3. पेरोकार सरकार –– अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 05

**:: निर्णय ::**

दिनांक – 16.07.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद लादूवास पटवार हल्का लादूवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 3361/410 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 297/23 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 31.05.2023 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार को होने पर उसके द्वारा माह जून 2023 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की आ0नं0 3361/410 के दक्षिणी मेड जो आ0नं0 432 व 3378/410 के मध्य है, उस मेड के पास आयताकार में 0.5311 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 व आ0नं0 3361/410 में आ0नं0 432 के सहारे 0.0253 है0 पर प्रतिवादी सं0 02 लगायत 04 द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिससे दिनांक 24 जून 2023 को उक्त

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गई जिससे आ0नं0 3361/410 के दक्षिणी मेड जो आ0नं0 432 व 3378/410 के मध्य है, उस मेड के पास आयताकार में 0.5311 है0 पर प्रतिवादी सं0 01 व आ0नं0 3361/410 में आ0नं0 432 के सहारे 0.0253 है0 पर प्रतिवादी सं0 02 लगायत 04 का अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 तीन का कोई हक अधिकार नही है।

प्रतिवादी संख्या 01 एक से 04 को दिनांक 10 जुलाई 2023 को वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 3361/410 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक लगायत 04 चार साफ तौर इंकार कर दिया व जबरन लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी सं0 01 लगायत 04 ने वादी को धमकी दी, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3361/410 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि के की दक्षिणी मेड के सहारे लगभग 0.5311 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का व 0.0253 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 दो लगायत 04 चार द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुंनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 04 चार उक्त अवैध कब्जे की आड़ मे वादी की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा है व यदि प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कर लिया गया तो वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य अनेका अनेक विवाद बढ जायेगे। इस कारण से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3361/410 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे की भूमि पर कोई पक्का निर्माण/किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण आदि नहीं करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व साथ ही वादी व दो स्वतंत्र गवाहों की ओर से साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल, पत्थरगढी, मौका पर्चा व नोटिस को प्रदर्शित करवाया गया।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगाायत 04 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: **आदेश** ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी के खातेदारी हक अधिकार की आराजी नम्बर 3361/410 के दक्षिणी मेड जो आ0नं0 432 व 3378/410 के मध्य है, उस मेड के पास आयताकार में 0.5311 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 व आ0नं0 3361/410 में आ0नं0 432 के सहारे 0.0253 है0 पर प्रतिवादी सं0 02 लगायत 04 द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे व साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 वादी की भूमि में किसी प्रकार की दंखलदाजी पैदा नहीं करें व किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करे। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)